



राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(73)राज-1/2012

जयपुर, दिनांक : 05.02.2016

अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अनापत्ति संख्या 11/9/2015-एम एण्ड जी, दिनांक 29.12.2015 के अनुसरण में जिला श्रीगंगानगर की तहसील श्रीकरणपुर के राजस्व ग्राम " 27एफ कमीनपुरा " (27F KAMEENPURA) का नाम परिवर्तित कर " महादेवनगर (चक 27 एफ) " (MAHADEVNAGAR (Chak 27 F)) किया जाता है :-

जिला/तहसील	राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
श्रीगंगानगर/ श्रीकरणपुर	27एफ कमीनपुरा	महादेवनगर (चक 27 एफ)

District/Tehsil	Existing Name of the Revenue Village	Spelling of the New Name in Roman Script	Spelling of the New Name in Devnagri Script
Sriganganagar/ Srikananpur	27F KAMEENPURA	(MAHADEVNAGAR (Chak 27 F))	महादेवनगर (चक 27 एफ)

भविष्य में इसे परिवर्तित नाम " महादेवनगर (चक 27 एफ) " से जाना-पहचाना व संबोधित किया जावेगा। उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम के नाम परिवर्तन से प्रभावित अभिलेखों के संधारण/नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)

संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....

AD (CEN)